

2592

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2014

Order

Dated Shimla-171002, the 27-11-14

Sub :- Diversion of 4.7823 hectares of forest land in favour of M/s Darjeeling Power Ltd., Mumbai for the construction of 66 KV Transmission Line for execution power in joint mode from Brua 9MW and Shaung 3MW Mini HEP, within the jurisdiction of Kinnaur Forest Division at Reckong Peo, Distt. Kinnaur, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPC160/2013-CHA/584 दिनांक 13.11.14 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.7823 hectare वन भूमि को M/s Darjeeling Power Limited Project Sit, Village Shaung & Chansu, Tehsil Sangla, Distt., Kinnaur, H.P., को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 Right of Way (ROW) को 6 मीटर तक सीमित रखा जाएगा और 6 मीटर (ROW) के साथ केवल 4.7823 हे० वन भूमि ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UF Palingcha एक्म N.C.26 (Land Bank) में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 57,80,628/- (सत्तावन लाख अस्सी हजार छे सौ अट्ठाइस मात्र) की राशि से कुल 29.00 हेक्टेयर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिए सभी सुरक्षा उपाय/पूर्व उपाय दृढ़तापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 6 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector- cum- Deputy Commissioner, Kinnaur, District Kinnaur, H.P.
- 11 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार

प्रधान सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

-Contd/-2

-2/-

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2014 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the, 27-11-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi.
2. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
3. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
4. The Deputy Commissioner Kinnaur, Distt, Kinnaur, Himachal Pradesh.
5. CCF, Rampur /DFO, Kinnaur Forest Division, Reckong Peo, Distt. Kinnaur, H.P.
6. M/s Darjeeling Power Limited Project site, village Shaung & Chansu, Tehsil Sangla, Distt. Kinnaur, H.P.
7. Guard File.

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177-2628481,9418455573

S/PFA
APCCF (FCA)
28/11

प्रमुख मंत्रालय हिमाचल प्रदेश
प्रकृति संरक्षण विभाग
दिनांक 29/11/14